:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन
मूकदमा नम्बर 03/21

श्री कालु पुत्र मोगा खॉट जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कोवाडीया फला धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान

—अपीलांट

बनाम

1 श्री कमलेश पुत्र मोगा जाति मीणा
2 श्री नरेश पुत्र मोगा जाति मीणा
3 मीरा पत्नी मोगा जाति मीणा
4 रणछोड पुत्र मोगा जाति मीणा
5 लक्ष्मी पुत्री मोगा जाति मीणा
6 विमला पुत्री मोगा जाति मीणा
7 शान्ती पत्नी मोगा जाति मीणा
8 सूर्या पुत्री मोगा जाति मीणा
9 सीता पुत्री मोगा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
10 श्री सरंपच ग्राम पंचायत धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
11 श्री सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

—रेस्पोडेंट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सं. 1096आदेश प्रमाणीत दिनांक08/09/2003
ग्राम पंचायत धम्बोला त. सीमलवाडा जिला डूँगरपूर
अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः— मनीष कुमार कलाल एडवोकेट अपीलांट की और से।

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता का नाम मोगा पिता लालु मीणा है, अपीलान्ट की खातेदारी भूमि गॉव धम्बोला के जमाबन्दी खाता सख्या 639 के खसरा सख्या 5307, 5340, 5341, 5345, 5414 कुल खसरा किता 5 का कुल रकबा 1. 2788 हैक्टेयर भूमि है जिसमें अपीलान्ट के पिता मोगा की मृत्यु होने पर अपीलान्ट एवं उसके माता, भाई बहीन के नाम नामा सख्या 1096 द्वारा दर्ज रिकार्ड किए गए है। कि नामान्तरण सख्या 1096 द्वारा अपीलान्ट के पिता स्व. मोगा पिता लालु मीणा का फोती इन्तकाल दर्ज कर नरेश, रणछोड, नेपाल, कमलेश, लक्ष्मी, सीता सूर्या, विमला पिता मोगा, शान्ती मीरा बेवा मोगा दर्ज किया गया। कि अपीलान्ट को नेपाल एवं कालु दोनो नाम से जाना जाता है, अपीलान्ट का पूर्व में नेपाल नाम रखा गया था किन्तु अपीलान्ट के लम्बे समय तक बीमार रहने के कारण, पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपीलान्ट का नाम कालु रखा गया जिस कारण अपीलान्ट को कालु एवं नेपाल दोनो नाम से जाना पहचाने जाने लगा किनतु अपीलान्ट का दस्तावेजी नाम कालु है जो अपीलान्ट के आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेज में दर्ज है किन्तु पटवारी द्वारा अपीलान्ट के कोई दस्तावेज लिए बिना ही पुछ परछ कर अपीलान्ट का नाम नेपाल दर्ज कर लिया है, जो नेपाल के स्थान पर कालु दर्ज किया जाना आवश्यक है। ग्रम पंचायत धम्बोला द्वारा प्रमाणित किया गया नामा.सख्या 1096 अपास्त कर, अपीलान्ट का सही एवं दस्तावेजी नाम कालु पुत्र मोगा दर्ज करते हुए नया नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। कि भू

अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनूसार ग्राम पंचायत का कर्त्व्य था कि वह श्री काना की मृत्यू के बाद वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोले जाते समय जिनकी भूमि का नामान्तरकरण खोला जा रहा है उनके उपस्थिति हेतू नोटिस देते तथा उनका पक्ष सूनते लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐंसा कूछ नही किया गया अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा किया गया होता तो सत्य बात रेकार्ड पर आती लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा एसा कूछ नही किया गया जिससे उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 1096 शून्य व प्रभावहिन होकर खारीज योग्य हे।कि उपरोक्त नामान्तरण को शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाकर अपीलान्ट का सही दस्तावेजी नाम कालु पुत्र मोगा दर्ज नही किये जाने पर अकारण परेशानी होगी।कि अपीलांट द्वारा जानकारी पर नकले दिनांक 30/07/2020 को प्राप्त की गई तथा समयावधि मे अपीलान्ट की अपील पेश है। कि दिनांक 30.07.2020 को अपीलांट द्वारा पटवारी साहब से भूमि की नकले निकलवाने सर्म्पक किया तो जानकारी मे आया कि अपीलांट सही एवं दस्तावेजी नाम कालु पिता मोगा के स्थान पर घर पर पुकारे जाने वाला नाम नेपाल पिता मोगा दर्ज कर लिया है जिस पर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 30.07. 2020 को प्राप्त की गई, जिस पर स्पष्ट रूप से जानकारी हूई।कि खोला गया नामान्तरकरण सं. 1096 देखने मात्र से अवैध एवम् शून्य है, चुकि उक्त नामान्तरण में गिरदवार की रिपोर्ट दिनांक 07/05/03 है तथा दिनांक 08/09/03 को जो तीन महीने बाद प्रमाणित किया गया है एसी परिस्थिति मे इस तरह के नामान्तरकरण को शून्य व निरस्त किया जाना आवश्यक है अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार कि जाकर नामान्तरण सं. 1096 ग्राम पंचायत धम्बोला को आपस्त कर, अपीलान्ट का सही नाम कालु पिता मोगा दर्ज कर नया नामान्तरण दर्ज किरए जाने के आदेश प्रदान करे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट मय स्वयम का आधारकार्ड सहीत पेश हुए तथा अपीलान्ट का सही एवं दस्तावेजी नाम कालु पिता मोगा मीणा दर्ज करने का निवेदन करते हुए राजीनामा पेश किया।

अतः गॉव धम्बोला के जमाबन्दी खाता सख्या 639 के खसरा सख्या 5307, 5340, 5341, 5345, 5414 कुल खसरा किता 5 का कुल रकबा 1.2788 हैक्टेयर के सबध में निर्णीत नामान्तरण सख्या 1096 अपास्त किया जाता है तथा स्वर्गीय मोगा पिता लालु के विधिक वारीसान श्री कालु पुत्र मोगा, श्री कमलेश पुत्र मोगा, नरेश पुत्र मोगा, मीरा पत्नी मोगा जाति मीणा, रणछोड पुत्र मोगा, लक्ष्मी पुत्री मोगा, विमला पुत्री मोगा, शान्ती पत्नी मोगा, सूर्या पुत्री मोगा सीता पुत्री मोगा जाति मीणा के नाम दर्ज कर नया नामान्तरण दर्ज रिकार्ड किया जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 6-4-21..........को खूले न्यायालय मे सूनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा